भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–108/2019–20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
12.09.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 14.08.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 14.08.2019 को उपस्थापित करें। 12.9.19 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। **आदेश**	
20.06.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक–512, दिनांक–**12.09.2019** द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक **16.09.2019** को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिक्रेता **सुरेन्द्र हाँसदा**, पिता–**स्व0 सामु हाँसदा**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**सनाईकुटी**, थाना–**टोकलो**, जिला **प० सिंहभूम** एवं क्रेता **श्री चरण हाँसदा**, पिता–**श्री मंगल हाँसदा**, ग्राम–**सनाईकुटी**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, थाना–**टोकलो**, जिला– **प० सिंहभूम** के निवासी हैं एवं आवेदित भूमि मौजा–**जुगीबेड़ा**, थाना नं0–**77**, थाना–**चक्रधरपुर**, खाता नं0–**51**, खेसरा नं0–**231**, रकवा–**0.05** ए0 भूमि चक्रधरपुर थाना अंतर्गत है। CNT Act के प्रावधान के विपरीत क्रय की जानेवाली भूमि के पुलिस थाना से इतर क्रेता अन्य थाना के निवासी है। अतः आवेदन को **खारिज** किया जाता है। 20.6.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	